



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा राष्ट्रीय लोक अदालत



दिनांक 14 मार्च 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र सुलभ व सरस्ता न्याय पायें।
न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ायें

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

- माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के आवेदानुसार सम्पूर्ण भारत वर्ष में तरुसील से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर तक।
- राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मार्च 2026 में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र लेकर अन्तिम आवेदा व निर्णय प्राप्त कर सबैध के लिए सम्बन्धित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर।
- स्वरित, सरस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक

लोक अदालत के लाभ

- पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण।
- पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पक्ष कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क बेय नहीं है।
- सम्बन्धित मामलों को लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं।
- कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौता पर आधारित।

राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद/प्रकरण

राष्ट्रीय लोक

- सुलह योग्य फौजदारी वाद
- वीरानी वाद
- भरण पोषण वाद
- वैवाहिक/परिवारिक वाद
- स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद
- सकदारी वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद
- वन वाद
- उपभोगता फोरम वाद
- भूमि अधिग्रहण वाद
- बांट वाद (प्रकथन) अधिनियम के अन्तर्गत कारागार
- ई-कारागार
- कारागार प्रकरण
- अन्य कसूरी अधिकरण मामलों

वेक डिफेंसो वाद

- किसतबारी वाद
- मक बरतना से सम्बन्धित वाद (20 एन.आई.एक्ट)
- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सम्बन्धित वादों
- विवाही मंत्री से सम्बन्धित जमानत बन्ध वाद एवं वाद (20 विधुत अधिनियम प्रकरण)
- नगर करिब/नगर निगम सम्बन्धी जलकाय/पुनः कर वादों
- जोडा एवं जोडा विधुत के करिबालों से सम्बन्धित वादों
- नगरिय अधिनियम के अन्तर्गत वादों
- समोरजन कर अधिनियम के अन्तर्गत वादों
- विकास अधिकार के अन्तर्गत वादों
- पारवन्धन प्र.स. सम्बन्धी प्रकरण
- अन्तिम आदेश के वादों

- एकीकृत/विभक्त/वर्गिक अदालत
- पान 155 की अन्त.पी.पी. के वादों
- अभिग्राहक कीर्तवारी (Plus Bargaining) हेतु बन्ध वाद
- डी-सिडिगेशन के प्रकरण से ऐसे वाद जिसमें विधायन योग्य किसी पारित हो।
- जमानत विधियों के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद
- वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण
- पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य वाद
- उत्तर प्रवेश मुकाम एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत वादों
- रेलवे वादा सम्बन्धी प्रकरण
- समरना प्रकरण
- अपनी लोक अदालत के पारों
- अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण



सन्धि का आधार

किसी भी सम्बन्धित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित फोरम/अधिकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जनपद न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।

अपेक्षा सिंह

निमित्त जन (सीडब्ल्यू) जमानत सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोण्डा

नम्रता अग्रवाल

अपर जिला जज गोण्डा
नौदल अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत, गोण्डा

दुर्ग नारायण सिंह

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोण्डा